प्रेषक,

जनपद न्यायाधीश,
शाहजहाँपुर।

सेवा में,

महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

पत्रांक- 46 /पन्द्रह

दिनांक- 04-01-2021

विषय- Mechanism for opening of Courts during the period of Lockdown & thereafter.

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि उपर्युक्त विषयक माननीय न्यायालय के पत्र संख्या-1687/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad, दिनांकित 18 दिसम्बर, 2020 के अनुपालन हेतु कोरोना समिति, जनपद न्यायालय, शाहजहाँपुर को दैनिक कार्यवाही की आख्या अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में कोरोना समिति द्वारा आज दिनांक 04-01-2021 को कृत कार्यवाही की आख्या अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

उक्त आख्या की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर माननीय न्यायालय के अवलोकनार्थ सादर प्रेषित की जा रही है।

दिनांक- 04-01-2021
संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय
4-1-21
I/c जनपद न्यायाधीश
शाहजहाँपुर।

प्रेषक,

कोरोना समिति,
जनपद न्यायालय, शाहजहाँपुर।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
शाहजहाँपुर।

विषय- कोरोना वायरस के प्रसार के खतरे को रोकने के लिये निवारक एवं उपचारात्मक प्रयास करने के सन्दर्भ में दैनिक कार्यवाही की आख्या प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

माननीय न्यायालय के पत्र संख्या-1687/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad, दिनांकित 18 दिसम्बर, 2020 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में माननीय महोदय के प्रशासनिक आदेश संख्या-02/2021 दिनांकित 01.01.2021 के अनुपालन में कोरोना समिति द्वारा कोरोना वायरस के प्रसार के खतरे को रोकने के लिये निवारक एवं उपचारात्मक प्रयासों तथा न्यायालयों की कार्यवाही के सम्बन्ध में आज **दिनांक 04.01.2021** को सम्पादित कार्यों का विवरण निम्नवत है:-

1. माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी, शाहजहांपुर के कार्यालय पत्रांक- 576/ कोविड-19/2020-2021 दिनांकित 04.01.2021 द्वारा अवगत कराया गया है कि **जनपद मुख्यालय शाहजहाँपुर तथा बाह्य न्यायालय, तिलहर, जलालाबाद एवं पुवायां कन्टेनमेंट जोन से बाहर है।** तदैव माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार ही जनपद न्यायालय शाहजहाँपुर एवं बाह्य न्यायालय तिलहर, जलालाबाद तथा पुवायां कार्य सम्पादन हेतु खोले गये हैं।
2. **माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या-1687/LXXXVII-CPC/e-Courts/ Allahabad, दिनांकित 18 दिसम्बर, 2020 में दिये गये निर्देशों के अनुसार माननीय जनपद न्यायाधीश, शाहजहाँपुर के प्रशासनिक आदेश संख्या- 02/2021, दिनांकित- 01.01.2021 तथा अंडर ट्रायल बंदियों को जनपद न्यायालय, शाहजहाँपुर के समक्ष प्रस्तुत करने की व्यवस्था के सम्बन्ध में प्रशासनिक आदेश संख्या- 03/2021, दिनांकित- 02.01.2021 का अनुपालन करते हुए सभी न्यायालयों द्वारा कार्य सम्पादन किया जा रहा है। (सुलभ सन्दर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न)**
3. आज न्यायालय खुलने से पूर्व जिला प्रशासन एवं नगर निगम से समन्वय स्थापित करके जनपद न्यायालय परिसर एवं बाह्य न्यायालयों की समुचित साफ-सफाई के उपरान्त उचित रीति से सेनेटाइजेशन कराया गया। सभी न्यायालय कक्षों, कार्यालयों, विश्राम कक्षों एवं न्यायालय परिसर के सभी स्थलों पर साफ सफाई करायी गयी है। न्यायालय परिसर में फागिंग करायी गयी है। न्यायालय परिसर का सेनेटाइजेशन दिन में दो बार अर्थात न्यायालय प्रारम्भ होने से पूर्व तथा न्यायालयों की कार्यवाही समाप्त होने के उपरान्त कराया जा रहा है। बाह्य न्यायालय तिलहर, पुवायां एवं जलालाबाद के परिसर का भी उचित रीति से सेनेटाइजेशन कराया गया है।
4. न्यायालय परिसर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की तापीय जांच (Thermal Scanning) करायी जा रही है। यह कार्य जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराये गये इन्फ्रारेड नो कान्टेक्ट टेम्प्रेचर थर्मामीटर द्वारा किया जा रहा है। न्यायालय परिसर में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग के उपरान्त ही, उन्हें न्यायालय परिसर में प्रवेश दिया जा रहा है।
5. सभी प्रकार के वादों एवं प्रार्थना पत्रों को जूडिशियल सर्विस सेन्टर/ कम्प्यूटर अनुभाग के ई-फाइलिंग काउण्टर पर दाखिल किया जा रहा है और सामाजिक दूरी का पालन सुनिश्चित कराया जा रहा है।
6. जनपद न्यायालय, शाहजहाँपुर की समर्पित (dedicated) ई-मेल आई.डी. districtcourtspn@gmail.com है। इस ई-मेल आई.डी. पर आज दिनांक 04.01.2021 को कोई भी आवेदन पत्र, जमानत प्रार्थनापत्र, बहस इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया गया है।

7. माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी व्यक्ति न्यायालय परिसर में मास्क लगाकर ही प्रवेश करें।
8. सभी न्यायालय कक्षों में सुनवाई हेतु नियमानुसार प्रबन्ध किया गया है एवं उचित दूरी पर अधिवक्तागण के बैठने हेतु चार कुर्सियाँ रखी गयी हैं। सामाजिक दूरी का पालन किया जा रहा है। साथ ही न्यायालय कक्ष के गेट पर न्यायालय के कर्मचारी के सहयोग से, कक्ष में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों के हाथों को एल्कोहल मिश्रित सेनेटाइजर से सेनेटाइज कराया जा रहा है।
9. सभी न्यायालयों द्वारा आज की तिथि पर विचारित किये गये मामलों की संख्या तथा उनके द्वारा निस्तारित मामलों की संख्या, इस अनुपालन आख्या के साथ सारणी रूप में संलग्न की जा रही है।
10. परिसर में स्थापित कैन्टीन को पूर्ववत् बन्द रखा गया है। इस समय गेट संख्या-1 से अधिकारियों एवं कर्मचारियों, गेट संख्या-4 से अधिवक्ताओं तथा गेट संख्या-2 के साथ-साथ गेट संख्या-6 के साथ लगे हुए छोटे गेट से वादकारियों आदि को प्रवेश दिया जा रहा है। गेट संख्या- 6 को बंदियों को लाने व ले जाने के लिये पूर्ववत खोल दिया गया है, सभी को थर्मल स्कैनिंग के उपरान्त ही प्रवेश दिया जा रहा है।
11. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अधिवक्ताओं एवं वादकारियों को ई-कोर्ट सर्विसेज एप के अधिकाधिक प्रयोग के लिये जागरूक किया जा रहा है। साथ ही जनपद न्यायालय के समर्पित ई-मेल आई.डी एवं दूरभाष सेवा के बारे में भी अवगत कराया जा रहा है। कार्य योजना का प्रचार प्रसार समाचार-पत्रों के माध्यम से भी कराया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार समिति की दैनिक अनुपालन आख्या माननीय महोदय के समक्ष अवलोकनार्थ सादर प्रस्तुत है।

संलग्नक: यथोक्त
दिनांक: 04.01.2021

04.01.2021
(सौरभ द्विवेदी)
सदस्य,
कोरोना समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जनपद न्यायालय, शाहजहाँपुर।

04.01.21
(सुरजन सिंह)
सदस्य,
कोरोना समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जनपद न्यायालय, शाहजहाँपुर।

04.1.2021
(किरन पाल सिंह)
अध्यक्ष,
कोरोना समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जनपद न्यायालय, शाहजहाँपुर।

(रमेश चन्द्र मिश्रा)
सदस्य,
कोरोना समिति/
प्रभारी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,
जनपद न्यायालय, शाहजहाँपुर।

04/01/2021
(कुलदीप कुमार)
सदस्य,
कोरोना समिति/
न्यायालय प्रबन्धक,
जनपद न्यायालय, शाहजहाँपुर।

4-1-'21

4/1/2021

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
शाहजहाँपुर।

सेवा में,

अध्यक्ष,
कोरोना समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
शाहजहाँपुर।

संख्या 576 /कोविड–19/2020–2021 दिनांक 04 जनवरी,2021

विषय : **कोरोना वायरस के प्रसार के खतरे के दृष्टिगत जनपद मुख्यालय शाहजहाँपुर एवं तहसील तिलहर, पुवायाँ व जलालाबाद की जोन की स्थिति की रिपोर्ट उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–702/XV दिनांक 21 मई, 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें कोरोना वायरस के प्रसार के खतरे के दृष्टिगत जनपद मुख्यालय शाहजहाँपुर एवं तहसील तिलहर, पुवायाँ व जलालाबाद जोन की स्थिति की दैनिक आख्या प्रतिदिन उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के क्रम में सादर अवगत कराना है कि भारत सरकार की नयी गाइड लाइन्स के अनुसार जनपद न्यायालय परिसर तथा वाहृय न्यायालय तिलहर, पुवायाँ व जलालाबाद का परिक्षेत्र कन्टेनमेन्ट जोन से बाहर है।

तद्नुसार सूचनार्थ सादर प्रेषित।

भवदीय

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
नोडल अधिकारी
शाहजहाँपुर।

कार्यालय जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, शाहजहाँपुर

प्रशासनिक आदेश संख्या – 02/2021

माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या–1687/LXXXVII-CPC/e-Courts/ इलाहाबाद दिनांकित–18.12.2020 में दिये गये निर्देश के अनुपालन में जनपद न्यायालय शाहजहाँपुर दिनांक 02.01.2021 से कार्य सम्पादन हेतु निर्देशित कार्य योजना के अनुसार खोला जाना है। माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार न्यायालयों को कार्य सम्पादन हेतु खोले जाने के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार दिनांक 02.01.2021 से निम्नवत कार्य योजना प्रस्तावित एवं लागू की जाती है–

1. इस न्यायिक अधिष्ठान के सभी न्यायालय (बाह्य न्यायालय तिलहर, पुवायाँ एवं जलालाबाद को सम्मिलित करते हुये) न्यायिक कार्य एवं प्रशासनिक मामलों के निस्तारण हेतु विद्यमान उपबन्धों, नियमों, समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों एवं परिपत्रों के अनुसार, दिनांक 02.01.2021 से क्रियाशील होंगे।

2. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पत्र संख्या 484/इन्फ्रा.सेल: इलाहाबाद दिनांकित 30.05.2020 के माध्यम से दिये गये निर्देशों का कठोरता के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

3. यदि जिला प्रशासन/मुख्य चिकित्साधिकारी की राय के अनुसार जनपद न्यायालय/वाह्य न्यायालयों को कोविड–19 के संक्रमण के कारण बन्द किये जाने की आवश्यकता होती है तो जनपद न्यायालय/वाह्य न्यायालयों को उल्लिखित अवधि के लिये बन्द किया जा सकेगा एवं उक्त आशय की सूचना माननीय उच्च न्यायालय को प्रेषित की जायेगी।

4. कोरोना समिति एवं केन्द्रीय नाजिर को आदेशित किया जाता है कि वह नगर निगम, जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य चिकित्सा अधिकारी /मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से समन्वय स्थापित करके न्यायालय परिसर की दैनिक साफ–सफाई एवं दो बार सैनीटाइजेशन (चिकित्सीय दिशा निर्देशों के अनुसार ही) कराया जाना अर्थात न्यायालय आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्यवाही समाप्त होने के उपरान्त, पूर्व की भांति सुनिश्चित करें। बाह्य न्यायालय के पीठासीन अधिकारीगण स्थानीय तहसील प्रशासन एवं नगर पालिका से समन्वय स्थापित करके उक्त कार्य सम्पादित करायेंगे। उक्त कार्य की दैनिक रिपोर्ट कोरोना समिति को प्राप्त कराया जाना सुनिश्चित करें।

5. न्यायालय परिसर में प्रत्येक व्यक्ति को तापीय जाँच (Thermal Scanning) के उपरान्त ही प्रवेश अनुमन्य किया जाये और इस हेतु जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक का सहयोग प्राप्त किया जाये एवं तापीय जाँच के पर्याप्त उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये। साथ ही सुरक्षा एवं अनुपालन समिति यह सुनिश्चित करे कि सुरक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों द्वारा न्यायालय परिसर में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों की तापीय जाँच की जायेगी और किसी व्यक्ति के बीमार पाये जाने पर उसे न्यायालय परिसर में प्रवेश करने से रोकेगें और उपचार हेतु चिकित्सालय जाने के लिये निर्देशित करेंगें। तापीय जॉच में सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, वादकारीगण एवं अधिवक्तागण द्वारा सुरक्षा बल के सदस्यों का समुचित सहयोग किया जायगा।

6. सभी पीठासीन अधिकारियों द्वारा कोविड–19 के सन्दर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिये गये निर्देशों तथा केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी सभी निर्देशों/गाइड लाईन का अनुपालन किया जायेगा।

7. सभी न्यायालयों प्रतिदिन सायं 04.00 बजे अथवा उसके पूर्व इस आशय की सूचना प्रशासनिक कार्यालय को प्राप्त कराया जाना सुनिश्चित करें कि उनके न्यायालय में सम्बन्धित प्रकृति के कितने वाद/प्रार्थनापत्र/मामले दाखिल हुये और उनके द्वारा कितने मामलों का निस्तारण किया गया। सभी न्यायालय के पीठासीन अधिकारीगण अपेक्षित सूचनाओं को ससमय प्रशासनिक कार्यालय एवं कोरोना समिति को प्राप्त कराया जाना सुनिश्चित करें। कोरोना समिति एवं नोडल अधिकारी कम्प्यूटर सूचनाओं को संकलित करके दैनिक अनुपालन आख्या माननीय उच्च न्यायालय को संप्रेषित कराया जाना सुनिश्चित करे।

आदेश की प्रति समस्त न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मध्य परिचालित की जाये।

आदेश की एक–एक प्रति जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, नगर आयुक्त, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, कारागार अधीक्षक, सेन्ट्रल बार एसोसिएशन को प्रेषित की जाये तथा सार्वजनिक सूचना पटल, न्यायालय के विभिन्न गेटों, वाह्य न्यायालयों के सूचना पटल इत्यादि पर चस्पा करायी जाये।

आदेश की प्रति जनपद न्यायालय की कम्प्यूटर वेबसाइट पर भी अपलोड की जाये।

आदेश की एक प्रति सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को इस कार्य–योजना के प्रचार प्रसार एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाये। इस आदेश की एक प्रति जिला सूचना अधिकारी को सम्पूर्ण कार्ययोजना के समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु प्रेषित की जाये।

इस कार्य योजना/आदेश की एक प्रति माननीय उच्च न्यायालय को अवलोकनार्थ सादर प्रेषित की जाये ।

दिनांक – 01.01.2021

01.01.2021

जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,
शाहजहाँपुर।

Office of District & Session's Judge, Shahjahanpur

Administrative Order No. – 03 / 2021

Regarding Appearance of under-trial prisoners before the courts.

In compliance of **Hon'ble High Court's letter no. 1687/IV-CPC/e-Courts/ Allahabad, dated 18.12.2020** all the courts (including outlying courts) of District Court Shahjahanpur are functioning as per the modalities/guidelines detailed in the letter of the Hon'ble High Court.

Remand/Judicial work in respect of the under-trial Prisoners is being conducted through Video conferencing, as detailed in Administrative Order No. 180/2020 dated 10.09.2020 and Administrative Order No. 114/2020 dated 18.05.2020.

Cases of under-trial prisoners are to be decided on priority basis, as per the direction of the Hon'ble High Court time to time. To decide the cases of under-trial prisoners it is compulsive to ensure the presence of prisoners before the concerned courts. But keeping in view the pandemic situation and to reduce the threat of Covid infection, followings are directed as under **in continuation of Administrative Order no. 02/2021 dated 01.01.2021,**

1. The extension of remand of the under-trial prisoners shall be taken up through Video conferencing only by all concerned courts, as per the modalities preferred in Administrative Order no. 114/2020, 180/2020 dated 18.05.2020 and 10.09.2020 respectively.
2. For the trial of the under-trial prisoners cases, it should be categorized namely-
    1. Cases fixed for Charge/recording of statements u/s 313 Cr.P.C.
    2. Cases fixed for evidence.
3. All the courts dealing with such cases shall ensure that the **under-trial prisoners of first category** shall be called up from the Jail, only when Charge is to be framed or statements u/s 313 Cr.P.C. is to be recorded ensuring the presence of bailed out accused of concerned case.
4. All the courts dealing with such cases shall ensure that the **under-trial prisoners of second category** shall be called up from the Jail, only when witness or witnesses has/have turned up for evidence before the court in concerned case.
5. All concerned courts shall send category-wise "Parcha Talbi" to District Jail on respective dates.
6. Superintendent, District Jail, Shahjahanpur to ensure the readiness of the under-trial prisoners for appearance before the concerned courts at respective dates on shifts basis following the guidelines of Covid-19.
7. Officer in-charge Nazarat to ensure demarkation of social distancing at Lock-up of District Court.
8. Superintendent of Police and Superintendent of District Jail, Shahjahanpur are expected to direct their Police Personnels, who are engaged in appearance of the prisoners before the courts, to follow social distancing and other precautionary measures while prisoners are being presented before the courts or kept at Lock-up of District Court.
9. This modality shall be continued till further order.
10. Nodal officer computer to ensure smooth and hassle free Video conferencing facility.
11. Corona Committee to ensure daily cleaning and sensitization of the Lock-up along with the entire court campus.
12. Let the copy of this order be sent to District Magistrate, Superintendent of Police, Nagar Ayukt, Superintendent of District Jail and all concerned for information and necessary actions.

RBSharma. 02/01/2021.

Date – 02.01.2021

(Ram Babu Sharma)
District & Session's Judge,
Shahjahanpur

Forwarded to Corona Committee
for information and n.a.

Administrative Clerk
Judge's Court
Shahjahanpur (U.P.)

Seen & K.o.f
04.01.2021

NUMBER OF CASES TAKEN UP AND DECIDED CHART

In the compliance of Hon'ble High Courts Letter no. Letter no. 1117/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad, dated- 03.06.2020, today's NUMBER OF CASES TAKEN UP AND DECIDED are as follows-

SR. No	NAME OF COURT	TAKEN UP		DECIDED		HOW MANY CASES WERE DECIDED BY VIRTUAL COURT	NO. OF APPLICATIONS RECEIVED BY EMAIL TODAY	DAILY STATUS OF REMAND		
		NO. OF CASES	NO. OF APPLICATIONS	NO. OF CASES	NO. OF APPLICATIONS			IN HOW MANY CASES REMAND OF UNDER TRIAL PRISONERS CARRIED OUT	IN HOW MANY CASES JUDICIAL WORK, EXCEPT REMAND OF UNDER TRIAL PRISONERS CARRIED OUT	NO. OF UNDER TRIAL PRISONERS COVERED
										Date-04.01.2021
1	District & Sessions Judge	2	23	0	2	0	0	0	0	0
2	A.D.S. J, Court No. 1	4	5	0	1	0	0	0	0	0
3	A.D.S. J, Court No. 2	1	10	0	3	0	0	0	0	0
4	A.D.S. J, Court No. 3	14	1	7	1	0	0	0	0	0
5	A.D.S. J, Court No. 4	5	0	1	0	0	0	0	0	0
6	A.D.S. J, Court No. 8	6	4	1	2	0	0	0	0	0
7	A.D.S. J, Court No. 9	2	13	0	6	0	0	0	0	0
8	A.D.S. J, Court No. 5	0	4	0	2	0	0	0	0	0
9	A.D.S. J, Court No. 10	1	1	1	1	0	0	0	0	0
10	A.D.S. J, Court No. 11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	A.D.S. J, Court No. 12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	A.D.S. J, Court No. 13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	A.D.S. J, Court No. 42	0	2	0	1	0	0	0	0	0
14	A.D.S. J, Court No. 43	0	2	0	1	0	0	0	0	0
15	A.D.S. J, Court No. 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	A.D.S. J, Court No. 7	0	3	0	0	0	0	0	0	0
17	A.D.S. J, F.T.C- I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	A.D.S. J, F.T.C- II	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Chief Judicial Magistrate	11	7	9	6	0	0	17	15	32
20	Civil Judge (S.D.)	2	0	1	0	0	0	0	0	0
21	A.C.J.M- I	0	15	0	9	0	0	0	0	0
22	A.C.J.M- II	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	A.C.J.M- III	0	1	0	1	0	0	0	0	0

NUMBER OF CASES TAKEN UP AND DECIDED CHART

In the compliance of Hon'ble High Courts Letter no. Letter no. 1117/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad, dated- 03.06.2020, today's NUMBER OF CASES TAKEN UP AND DECIDED are as follows-

SR. No	NAME OF COURT	TAKEN UP		DECIDED		HOW MANY CASES WERE DECIDED BY VIRTUAL COURT	NO. OF APPLICATIONS RECEIVED BY EMAIL TODAY	DAILY STATUS OF REMAND		
		NO. OF CASES	NO. OF APPLICATIONS	NO. OF CASES	NO. OF APPLICATIONS			IN HOW MANY CASES REMAND OF UNDER TRIAL PRISONERS CARRIED OUT	IN HOW MANY CASES JUDICIAL WORK, EXCEPT REMAND OF UNDER TRIAL PRISONERS CARRIED OUT	NO. OF UNDER TRIAL PRISONERS COVERED
24	Addl. Civil Judge (S.D.)/ACJM	0	2	0	2	0	0	0	0	0
25	Civil Judge (S.D) F.T.C.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Civil Judge (J.D.)	6	0	1	0	0	0	0	0	0
27	Judicial Magistrate- I	4	5	0	5	0	0	0	0	0
28	Addl. Civil Judge (J.D.)- I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Judicial Magistrate- II	0	11	0	6	0	0	0	0	0
30	Addl. Civil Judge (J.D.)- II	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Addl. Civil Judge (J.D.). Court No. 32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	J.M, Court No. 33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Addl. Civil Judge (J.D.), Court No. 34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Addl. Civil Judge (J.D.), Court No. 35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Addl. Civil Judge (J.D.), Court No. 36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Addl. Civil Judge (J.D.). Court No. 37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Addl. Civil Judge (J.D.). Court No. 38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Civil Judge (J.D.) FTC, Court No. 39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Addl. Civil Judge (J.D.), Court No. 40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Civil Judge (J.D.) FTC, Court No. 41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sub Total (HQ)	**58**	**109**	**21**	**49**	**0**	**0**	**17**	**15**	**32**
41	Civil Judge (J.D.), Tilhar (Outlying Court)	4	3	0	3	0	0	0	0	0
42	Addl. Civil Judge (J.D.), Tilhar (Outlying Court)	6	8	2	8	0	0	0	0	0
	Sub Total (Outlying Court-Tilhar)	**10**	**11**	**2**	**11**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
43	Civil Judge (J.D.), Puwayan (Outlying Court)	7	35	2	5	0	0	0	0	0
44	Civil Judge (J.D.), Jalalabad (Outlying Court)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sub Total (Outlying Courts)	**17**	**46**	**4**	**16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Grand Total	**75**	**155**	**25**	**65**	**0**	**0**	**17**	**15**	**32**

Hamsa
04/1/2021